न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस डी ओ)सिणधरी

[illegible]

प्रकरण [illegible] संख्या 25 2025

प्रार्थीगण — बनाम — विपक्षीगण

प्रार्थीगण

1 [illegible] पुत्र हस्तीराम
2 [illegible] पुत्र हस्तीराम
3 [illegible] पुत्र हस्तीराम
4 [illegible] पुत्र हस्तीराम जाट

प्रार्थीगण सभी जाति जाट निवासी [illegible] तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

विपक्षीगण

1 [illegible] पुत्र [illegible]
2 [illegible] पत्नी [illegible]
3 [illegible] पुत्र [illegible]
4 [illegible] पुत्र [illegible]
5 [illegible] पुत्र [illegible] कौम [illegible] निवासी [illegible] तहसील सिणधरी
6 [illegible] पुत्र [illegible] कौम [illegible] निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।
7 [illegible] पुत्र [illegible]
8 [illegible] पुत्र [illegible]
9 स्व. [illegible] पत्नी [illegible] कौम [illegible] मुकाम निवासी 07 व 08।
10 [illegible] पत्नी [illegible]
11 [illegible] पुत्र [illegible]
12 [illegible] पुत्र [illegible]
13 [illegible] पुत्र [illegible]
14 [illegible] पुत्र [illegible]
15 [illegible] पुत्र [illegible]
16 स्व. [illegible] पुत्र [illegible] कौम कायम मुकाम वारिसान
16/1 [illegible] पुत्र [illegible]
16/2 [illegible] पुत्र [illegible]
16/3 [illegible] पत्नी [illegible]
17 [illegible] पुत्र [illegible]
18 [illegible] पुत्री [illegible]
[illegible]
20 [illegible]
[illegible]
जिला बालोतरा।
22 [illegible] पुत्र [illegible]
23 [illegible] पुत्र [illegible]
24 [illegible] पुत्र [illegible] जाट
विपक्षीगण सभी जाति जाट [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 (वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति–

1. श्री चिमनसिंह चौधरी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक –02.05.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी के ग्राम एड अमरसिंह में खसरा संख्या 159/3,191/1,191/2 रकबा कमशः 2.6131,3.3331,3.3331 हैक्टेयर खातेदारी का आया हुआ है। प्राथीगर्ण व विप्रार्थीगण के खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी के ग्राम एड अमरसिंह में खसरा संख्या 159/3,191/1,191/2 रकबा कमशः 2.6131,3.3331,3.3331 हैक्टेयर खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को पैरवी का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:23 IST
Reason: SelfAttested

3. वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी के ग्राम एड अमरसिंह में खसरा संख्या 159/3,191/1,191/2 रकबा कमशः 2.6131,3.3331,3.3331 हैक्टेयर खातेदारी की भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माठे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

इन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी के ग्राम एड अमरसिंह में खसरा संख्या 159/3,191/1,191/2 रकबा कमशः 2.6131,3.3331,3.3331 हैक्टेयर भूमि की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमनें वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया कि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी के ग्राम एड अमरसिंह में खसरा संख्या 159/3,191/1,191/2 रकबा कमशः 2.6131,3.3331,3.3331 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076–2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है,इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डड खातेदार है,और रिकार्डड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवानें के लिए स्वतंत्र है,जिसके प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती,तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करतें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा,प्राथीगर्ण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी पटवार मण्डल एड सिणधरी के ग्राम एड अमरसिंह में खसरा संख्या 159/3,191/1,191/2 रकबा कमशः 2.6131,3.3331,3.3331 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 02.05.2025 को लिखा जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 18:19:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी